न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 615/2021

अनवान : –

1. हंसराम पुत्र दुदाराम जाति जाट साकिन ढीलकी जाटान तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता **वादी**
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 03/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक चक न0 12 जीजीएम तहसील नोहर के प0न0 376/466 मु0न0 31 कि0न0 22/1 की 0.2280 हैक्ट, 22/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 23/1 की 0.2280 हैक्ट, 23/2 की 0. 0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 24/1 की 0.2280 हैक्ट, 24/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 25/1 की 0.2020, 25/2 की 0.0510 हैक्ट गै0मु0 खाला कुल 1.0120 हैक्ट भूमि का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त कृषि भूमि में 2–2 बिस्वा गै0मु0 खाला दर्ज है लेकिन मौके पर कोई खाला नही है व ना ही खाला की आवश्यकता है क्योंकि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संशोधित कर स्वीकृत चक स्कीम में अन्य जगह पर नया खाला स्वीकृत किया है इसलिए पुराने खालों की का जरूरत नही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में आज भी चक 12 जीजीएम तहसील नोहर के प0न0 376/466 मु0न0 31 कि0न0 22/2 की 0.250, 23/2 की 0.0250, 24/2 की 0.0250, 25/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादी उक्त गै0मु0 खाला की भूमि को अपने नाम से मुमकिन दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी स0 1 पेरोकार रा ने जवाब पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 अधिशांषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो शामिल मिसल किये गये।।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:15:01 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी रोही मौजा 12 जीजीएम सम्वत 2076–79 खाता स0 64/64, चित्रप्रति नक्शा रिवाईज्ड चक प्लान 12 जीजीएम, चित्रप्रति बैयनामा पेश किये जो की शमिल मिसल किये गये। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त कृषि भूमि में 2–2 बिस्वा गै0मु0 खाला दर्ज है लेकिन मौके पर कोई खाला नही है व ना ही खाला की आवश्यकता है क्योंकि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संशोधित कर स्वीकृत चक स्कीम में अन्य जगह पर नया खाला स्वीकृत किया है इसलिए पुराने खालों की का जरूरत नही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में आज भी चक 12 जीजीएम तहसील नोहर के प0न0 376/466 मु0न0 31 कि0न0 22/2 की 0.250, 23/2 की 0.0250, 24/2 की 0.0250, 25/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादी उक्त गै0मु0 खाला की भूमि को अपने नाम से मुमकिन दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री किया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं राज्य हकों को ध्यान मे रखते हुए वाद का निस्तारण किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबंदी का अवलोकन किया वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज है अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व मौका रिपोर्ट तहसीलदार आदि का अवलोकन किया गया। वादी का कथन है कि चक 12 जीजीएम तहसील नोहर के प0न0 376/466 मु0न0 31 कि0न0 22/2 की 0.250, 23/2 की 0.0250, 24/2 की 0.0250, 25/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला दर्ज कर रखा है लेकिन अब नहर का पक्का निर्माण होने के बाद में सिएडी सिंचाई द्वारा इन किलों में से खाला निरस्त कर दुसरी जगह पर खाला स्वीकृत कर पक्के खाले का निर्माण हो चुका है। इसलिए अब चक 12 जीजीएम तहसील नोहर के प0न0 376/466 मु0न0 31 कि0न0 22/2 की 0.250, 23/2 की 0.0250, 24/2 की 0.0250, 25/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। जल संसाधन विभाग भादरा से खाला के संबंध में रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई चक 12 जीजीएम तहसील नोहर के प0न0 376/466 मु0न0 31 कि0न0 22/2 की 0.250, 23/2 की 0.0250, 24/2 की 0.0250, 25/2 की 0.0250 हैक्ट मे कोई खाला नही बना है स्वीकृत चक प्लान में भी उक्त किला न0 में कोई खाला स्वीकृत नही है उक्त किलो की गै0मु0 भूमि को मुमकिन किया जाना उचित है तथा तहसीलदार नोहर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत करवाया गया कि वर्तमान चक 12 जीजीएम तहसील नोहर के प0न0 376/466 मु0न0 31 कि0न0 22/2 की 0.250, 23/2 की 0.0250, 24/2 की 0.0250, 25/2 की 0.0250 हैक्ट भूमि मे कोई पक्का खाला नही बना है।

गै0मु0 खाला अथवा रास्ता के बदलाव/निरस्तीकरण हेतु राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 8(1) व 8(2) में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शक्तियों तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 20[illegible] ऑफ राजस्थान बनाम राजपाल पेज न0 167, आरआरडी 1987 पेज न0 279 एवं आरआरडी 1998 पेज न0 699 के अनुसार जब कभी भी किसी कारणवंश पूर्व में निर्मित रास्ता एवं खाले को निरस्त किया जाता है तो वह रास्ता एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:15:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खाले की भूमि उसी काश्तकार के खाते में प्रत्याहित हो जावेंगी जिसके खाते में यह कम की गई थी।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों के अवलोकन से पाया गया की उक्त वाद भूमि जरिये बैयनामा वादी द्वारा खरीद की गई है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चक 12 जीजीएम तहसील नोहर के प0न0 376/466 मु0न0 31 कि0न0 22/2 की 0.250, 23/2 की 0.0250, 24/2 की 0.0250, 25/2 की 0.0250 हैक्ट भूमि गै0मु0 खाला दर्ज है। जल संसाधन विभाग की रिपोट के अनुसार उक्त किलों में खाला स्वीकृत नही किया गया है तथा तहसीलदार नोहर के रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाले का निर्माण नही है। अब सिंचाई विभाग द्वारा खाला निरस्त किया जा चुका है इसलिए वादी की भूमि में से गै0मु0 खाला/रास्ता के लिए कम की गई भूमि को पुनः वादी अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

तहसीलदार नोहर एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा द्वारा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के मुताबिक उक्त किलों में वर्तमान में कोई खाला नही है एवं नई चक स्कीम के अन्तर्गत भी उक्त किलों में खाता स्वीकृत भी नही है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी साक्ष्य सबूतों, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जल संसाधन विभाग भादरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं तहसीदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 12 जीजीएम तहसील नोहर के प0न0 376/466 मु0न0 31 कि0न0 22/2 की 0.250, 23/2 की 0.0250, 24/2 की 0.0250, 25/2 की 0.0250 हैक्ट भूमि गै0मु0 खाला को निरस्त किया जाकर वादी के नाम मुमकिन/खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/02/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:15:01 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 615/2021

अनवान : –

1. हंसराम पुत्र दुदाराम जाति जाट साकिन ढीलकी जाटान तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 615 सन 2021 निर्णय दिनांक 03/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री हवासिंह पूनिया एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 जीजीएम तहसील नोहर के प0न0 376/466 मु0न0 31 कि0न0 22/2 की 0.250 (0.0250) 23/2 की 0.0250, 24/2 की 0.0250, 25/2 की 0.0250 हैक्ट भूमि गै0मु0 खाला को निरस्त किया जाकर वादी के नाम मुमकिन/खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:15:01 IST
Reason: SelfAttested